रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02052025-262830
CG-DL-E-02052025-262830

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

| | |
|---|---|
| सं. 237] | नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 1, 2025/वैशाख 11, 1947 |
| No. 237] | NEW DELHI, THURSDAY, MAY 1, 2025/VAISHAKH 11, 1947 |


## उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

## (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

## आदेश

नई दिल्ली, 1 मई, 2025

**सा.का.नि. 280(अ).—**केन्द्रीय सरकार आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और चीनी (नियंत्रण) आदेश, 1966 और चीनी कीमत (नियंत्रण) आदेश, 2018 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पहले की गई या किए जाने से लोप की गई बातों के सिवाय, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ -** (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम चीनी (नियंत्रण) आदेश, 2025 है।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

**2. परिभाषाएँ -** (1) इस आदेश में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) "अधिनियम" से आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) अभिप्रेत है;

(ख) "थोक उपभोक्ता" से हलवाई, मिठाई विक्रेता, मिष्टान विक्रेता, शीतल पेय विनिर्माता, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग या कोई अन्य संस्थागत क्रेता आदि अभिप्रेत है जो चालू मास को छोड़कर पिछले एक वर्ष के दौरान औसत मासिक खपत के रूप में कम से कम एक सौ मीट्रिक टन चीनी का उपभोग करता है;

(ग) "बूरा शुगर" से किसी भी प्रकार की चीनी से बना महीन दाने के आकार का उत्पाद अभिप्रेत है जिसमें वजन अनुसार सुक्रोज 90 प्रतिशत से कम नहीं है और वजन अनुसार नमी 0.7 प्रतिशत से

अधिक नहीं है और गंदगी, मैल, लोहे का बुरादा और मिलाया गया रंग पदार्थ और बाहरी पदार्थ से मुक्त होगा जो वजन अनुसार 0.1 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा, या समय-समय पर यथा संशोधित खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) विनियम, 2011 में यथा विनिर्दिष्ट अनुसार होगा;

(घ) "उपोत्पाद" से ऐसा कोई प्रकार का उत्पाद अभिप्रेत है जिसका उत्पादन चीनी के उत्पादन के दौरान किया गया है, अर्थात् गन्ने की खोई, गन्ना शीरा, चीनी की खली या गन्ने से चीनी उत्पादन को प्रभावित करने वाला कोई अन्य वैकल्पिक उत्पाद;

(ङ) "गन्ना शीरा" से इस आदेश के खंड 4 के अधीन यथा उपबंधित गन्ना शीरा अभिप्रेत है;

(च) "घन चीनी" से परिष्कृत क्रिस्टलीकृत चीनी से निर्मित घन या घनाभ ब्लॉकों के रुप में चीनी अभिप्रेत है जिसमें वजन अनुसार सुक्रोज 99.7 प्रतिशत से कम न हो और आर्द्रता वजन अनुसार 0.25 प्रतिशत से अधिक न हो, वजन और कुल राख भार के अनुसार 0.03 प्रतिशत से अधिक न हो, और वह सफेद रंग की होगी, गंदगी और बाहरी संदूषण से मुक्त या समय-समय पर संशोधित खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) विनियम, 2011 में यथा विनिर्दिष्ट अनुसार होगी;

(छ) "विक्रेता" से चीनी के क्रय, संचलन, विक्रय, प्रदाय, वितरण, भण्डारण या प्रसंस्करण के कारबार में लगा हुआ कोई व्यक्ति, चाहे वह थोक विक्रेता या फुटकर विक्रेता या बड़ी श्रृंखला का खुदरा विक्रेता या संसाधक या आयातक या निर्यातक के रूप में हो और चाहे वह किसी अन्य कारबार के साथ सम्मिश्रण में हो या नहीं अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत उसके प्रतिनिधि या अभिकर्ता भी हैं;

(ज) चीनी आधारित फीड स्टॉक से उत्पादित "इथेनॉल" से गन्ने के रस, चीनी सिरप, गन्ना शीरे और चीनी से उत्पादित इथेनॉल अभिप्रेत है;

(झ) "खाद्य कारबार" से कोई भी उपक्रम, अभिप्रेत है चाहे वह लाभ के लिए हो या नहीं और चाहे सार्वजनिक हो या निजी, विनिर्माण, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, भंडारण, परिवहन, भोजन के वितरण, आयात के किसी भी चरण से संबंधित किन्हीं भी क्रियाकलापों को करता है और इसमें खाद्य सेवाएं, खानपान सेवाएं, भोजन या खाद्य सामग्री की बिक्री सम्मिलित है;

(ञ) खाद्य कारबार के संबंध में "खाद्य कारबार प्रचालक" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके द्वारा कारबार किया जाता है या स्वामित्व में है और जो खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है;

(ट) "गुड़" से गन्ने को पेरकर निकाले गए रस को उबालकर या संसाधित करके प्राप्त किया गया उत्पाद अभिप्रेत है जिसमें तरल या अर्ध ठोस प्रकार के अलावा वजन अनुसार सुक्रोज 60 प्रतिशत से कम न हो से कम हो, वजन अनुसार नमी 10 प्रतिशत से अधिक न हो और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में अघुलनशील राख 0.5 प्रतिशत से अनधिक हो, और यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पदार्थों से अथवा समय-समय पर यथा संशोधित खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) विनियम, 2011 में यथाविनिर्दिष्ट से मुक्त होगा;

(ठ) "आइसिंग शुगर" से खाद्य स्टार्च और खाद्य स्टार्च के साथ या बिना परिष्कृत चीनी या वैक्यूम पैन चीनी को पल्वराइजिंग करके निर्मित चीनी अभिप्रेत है, यदि मिलाया जाता है, तो चीनी में समान रूप से बढ़ाया जाएगा और सफेद पाउडर, धूल और अन्य बाहरी पदार्थ से मुक्त सफेद होगा। इसमें वजन अनुसार सुक्रोज 99 प्रतिशत से कम नहीं होगा, और वजन अनुसार नमी 0.80 प्रतिशत से अधिक नहीं और वजन अनुसार स्टार्च 4 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए, या समय-समय पर यथा संशोधित खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) विनियम, 2011 में यथा निर्दिष्ट होना चाहिए;

(ड) "भारतीय चीनी मानक ग्रेड" से वे ग्रेड अभिप्रेत हैं जो निदेशक, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर द्वारा जारी बोतलों में चीनी के मानक मुहरबंद नमूनों द्वारा दर्शाए गए हैं जो भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा विहित मानकों के अनुरूप हैं;

(ढ) "खांडसारी फैक्टी" से किसी भी परिसर सहित उसका अहाता अभिप्रेत है जिसमें बीस या अधिक श्रमिक काम कर रहे हैं या काम कर रहे थे और जिसके किसी भी हिस्से में खुली पैन प्रक्रिया के माध्यम से खांडसारी चीनी के उत्पादन से जुड़ी कोई भी विनिर्माण प्रक्रिया की जा रही है या साधारणतया यांत्रिक शक्ति की सहायता से की जाती है और पेराई क्षमता प्रति दिन पांच सौ टन से कम नहीं होती है;

(ण) "खांडसारी चीनी" से खांडसारी चीनी अभिप्रेत है जैसा कि इस आदेश के खंड 3 में उपबंधित है;

(त) "प्लांटेशन व्हाइट शुगर" से गन्ने या चुकंदर से प्राप्त क्रिस्टलीकृत उत्पाद अभिप्रेत है जिसमें वजन अनुसार सुक्रोज 98 प्रतिशत से कम नहीं है और वजन अनुसार नमी 0.5 प्रतिशत से अधिक नहीं है, और यह गंदगी, लोहे का बुरादा और मैल, रंग पदार्थ और बाहरी पदार्थ से मुक्त होगा जो वजन अनुसार 0.1 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा, या मिलाया गया समय-समय पर यथा संशोधित खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) विनियम, 2011 में यथा विनिर्दिष्ट अनुसार होगा;

(थ) "उत्पादक" से ऐसी संस्था या व्यक्ति अभिप्रेत है जो गन्ने के रस या चीनी या गन्ने के शीरे का उपयोग करके चीनी या किसी उत्पाद का विनिर्माण करने का कारबार करता है, जहां सुकोज या चीनी का उपयोग किया जाता है और परिणामी उत्पाद प्रत्यक्ष मानव या पशु उपभोग के लिए अभिप्रेत नहीं है;

(द) "कच्ची चीनी" से 96.5 डिग्री जेड के न्यूनतम ध्रुवीकरण के साथ बिना धुली केन्द्रापसारक चीनी से बेहतर गुणवत्ता वाली चीनी बनाने के लिए जो गन्ने या चुकन्दर से प्राप्त शीरे की मूल फिल्म से घिरी हुई है, या समय समय पर यथा संशोधित भारतीय मानक ब्यूरो या भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा यथाविनिर्दिष्ट परिष्कृत या पुनर्संसाधित किया जाना है, अभिप्रेत है;

(ध) "परिष्कृत चीनी" से अभिप्रेत है क्रिस्टलीकृत चीनी वजन अनुसार जिसमें सुक्रोज 99.5 प्रतिशत से कम नहीं और वजन अनुसार नमी 0.5 प्रतिशत से अधिक नहीं है और वजन अनुसार यह गंदगी, मैल, लोहे के बुरादे और मिलाए गए रंग पदार्थ और बाहरी पदार्थ से मुक्त होगी, या बजन अनुसार 0.1 प्रतिशत से अधिक नहीं, समय समय पर यथासंशोधित खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) विनियम 2011 में यथाविनिर्दिष्ट है।

(न) "चीनी" से अभिप्रेत है,-

(i) अपरिष्कृत, रोपण सफेद, परिष्कृत चीनी और चीनी मिश्री सहित 90 प्रतिशत से अधिक सुक्रोज युक्त चीनी का कोई भी रूप; या

(ii) खांडसारी चीनी या बूरा चीनी या कुचली चीनी या क्रिस्टलीय या पाउडर या तरल रूप में कोई भी चीनी;

(प) "चीनी कारखाना या चीनी मिल" से कोई भी परिसर अभिप्रेत है जिसमें उसके अहोत सम्मिलित हैं जिसमें बीस या अधिक श्रमिक काम कर रहे हैं और जिसके किसी भी हिस्से में चीनी के उत्पादन से जुड़ी वैक्यूम पैन प्रक्रिया या इथेनॉल के उत्पादन से जुड़ी कोई भी विनिर्माण प्रक्रिया या तो सीधे गन्ने के रस या सिरप या चीनी या खांडसारी चीनी सिरप से किया जा रहा है या साधारण यांत्रिक शक्ति की सहायता से किया जाता है।

(2) यहां प्रयुक्त लेकिन परिभाषित नहीं किये गए शब्दों और पदों का, जो अधिनियम में परिभाषित है कि कमशः वही अर्थ होगा जो अधिनियम में उनका है।

**3. खांडसारी चीनी देसी या सल्फर का मानक -** खुले पैन प्रक्रिया द्वारा गन्ने के रस से प्राप्त खांडसारी चीनी दो किस्मों की हो सकती है और यह क्रिस्टलीय या पाउडर के रूप में हो सकती है। यह गंदगी, मैल, लोहे का बुरादा और मिलाए गए रंग

पदार्थ से मुक्त होगी और बाहरी पदार्थ वजन अनुसार 0.25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा और इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट (खाद्य ग्रेड) हो सकता है। दोनों किस्में निम्नलिखित मानकों की भी पुष्टि करेंगी, अर्थात् -

(क) खांडसारी चीनी (देसी) - सुक्रोज वजन अनुसार 93 प्रतिशत से कम नहीं, और नमी वजन अनुसार 1.5 प्रतिशत से अधिक नहीं, वजन और राख तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड में अघुलनशील वजन अनुसार 0.7 प्रतिशत से अधिक नहीं, या समय समय पर यथासंशोधित खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) विनियम, 2011 में यथाविनिर्दिष्ट है।

(ख) खांडसारी चीनी (सल्फर) - सुक्रोज वजन अनुसार 96.5 प्रतिशत से कम नहीं, और नमी वजन अनुसार 1.5 प्रतिशत से अधिक नहीं और राख वजन अनुसार तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड में अघुलनशील 0.5 प्रतिशत से अधिक नहीं, या समय-समय पर यथा संशोधित खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) विनियम, 2011 में यथा विनिर्दिष्ट अनुसार होगी।

4. **गन्ना शीरा -** गन्ना शीरा चीनी कारखाने या खांडसारी कारखाने में चीनी के उत्पादन के दौरान उत्पन्न होने वाली मदर लिकर होगी, जिसके निम्नलिखित उप-प्रकार हैं, अर्थात,-

(i) ए-हैबी शीरा - ए-हैबी शीरा एक मध्यवर्ती उप-उत्पाद है जो चीनी के उत्पादन के दौरान उत्पादित होता है जिसमें 66 प्रतिशत और उससे अधिक उससे अधिक शुद्धता होती है;

(ii) बी-हैबी शीरा - बी-हैबी शीरा चीनी के उत्पादन के दौरान उत्पादित एक मध्यवर्ती उप-उत्पाद है जिसमें शुद्धता 48 प्रतिशत के बराबर या उससे अधिक और 66 प्रतिशत से कम होती है; और

(iii) सी-हैबी शीरा - सी-हैबी शीरा चीनी के उत्पादन के दौरान उत्पादित एक अंतिम उप-उत्पाद है जिसमें 48 प्रतिशत से कम शीरे की शुद्धता होती है।

5. **चीनी की उत्पादकता और विपथन (डायवर्जन) को विनियमित करने की शक्ति -** (1) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से यह निदेश देगी कि इस संबंध में जारी औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन और उनके अनुसार के सिवाय गन्ने अथवा चुकंदर से किसी भी चीनी और इसके सह-उत्पादों का विनिर्माण नहीं किया जाएगा।

(2) केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से चीनी आधारित फीडस्टॉक अथवा किसी अन्य उत्पाद, जिसमें चीनी का विपथन अंतर्वलित है, से इथेनॉल के उत्पादन के लिए चीनी के विपथन को विनियमित करने के लिए आदेश जारी कर सकेगी।

6. **उत्पादक द्वारा चीनी की बिक्री भंडारण, निपटान आदि को विनियमित करने की शक्ति -** केन्द्रीय सरकार यह निदेश दे सकेगी कि कोई भी उत्पादक केन्द्रीय सरकार द्वारा लिखित रूप में जारी निदेश के अधीन और उसके अनुसार के सिवाय उत्पादक के परिसरों से किसी प्रकार की चीनी की बिक्री या बिक्री करने या अन्यथा व्ययन करने या उसका परिदान करने या किसी प्रकार की चीनी निकालने के लिए सहमत नहीं होगाः

परन्तु यह खंड किसी भी उत्पादक या विक्रेता द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 2 के खंड (ङ) में यथा परिभाषित किसी भी अनुसूचित बैंक या बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 (1970 का 5) की धारा 3 के अधीन गठित किसी भी तत्स्थानी नए बैंक भी, या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लाइसेंस प्राप्त किसी बैंकिग वित्तीय कंपनियों के पक्ष में ऐसी चीनी की गिरवी रखने को प्रभावित नहीं करेगा, और ऐसा कोई बैंक या वित्तीय संस्थान केन्द्रीय सरकार द्वारा लिखित रूप में जारी किए निदेश के अधीन और उसके अनुसार के सिवाय इसे गिरवी रखी गई चीनी नहीं बेचेगा।

7. **उत्पादकों और विक्रेताओं को निदेश जारी करने की शक्ति -** केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर साधारण या विशेष आदेश द्वारा, किसी उत्पादक या विक्रेता या उत्पादकों या विक्रेताओं के किसी वर्ग को, स्टॉक के उत्पादन, रखरखाव, भंडारण बिक्री, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, अंकन, तौल, निपटान, परिदान किसी भी प्रकार की चीनी और उसके उप-उत्पादों के बिक्री, वितरण या प्रसंस्करण के लिए चीनी की न्यूनतम कीमत के बारे में ऐसे निदेश जारी कर सकेगी, जैसा वह ठीक समझे।

8. **केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा कुर्क की गई चीनी को बिना निदेश के नहीं बेचा जाना -** (1) जहां किसी उत्पादक या डीलर के पास चीनी का कोई स्टॉक कुर्क या अभिग्रहण किया जाता है,-

(i) तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमिति के उपबंधों के अनुसार केन्द्रीय या राज्य सरकार के किसी अधिकारी द्वारा; या

(ii) सिविल न्यायालय में किसी भी कार्यवाही के अनुसरण में।

(2) इस प्रकार कुर्क या अभिग्रहण की गई चीनी को तब तक बेचने का आदेश नहीं दिया जाएगा जब तक कि अधिकारी या न्यायालय का यह समाधान न हो जाए कि इस आदेश के खंड 7 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा निदेश जारी किए गए हैं:

परंतु सरकारी अधिकारियों द्वारा अभिग्रहण चीनी का स्टॉक मामले के निपटारे तक अभिग्रहण किए गए स्टॉक के समतुल्य मूल्य की बैंक गारंटी प्रस्तुत करने पर बिक्री के लिए छोड़ा जाएगा।

**9. चीनी के न्यूनतम विक्रय मूल्य को विनियमित करने की शक्ति -** केन्द्रीय सरकार, खंड 7 के अधीन बिक्री के लिए चीनी के न्यूनतम विक्रय मूल्य के संबंध में कोई आदेश जारी करते समय, गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य, लगभग और औसत परिवर्तन लागत और ऐसी अन्य वित्तीय लागत पर, जो यथास्थिति, गन्ने या चुकंदर से चीनी के उत्पादन के लिए सुसंगत हो, या चीनी के उत्पादन की प्रक्रिया में उत्पन्न प्राथमिक उपोत्पादों (शीरा, खोई और प्रेस मिट्टी) से औसत राजस्व प्राप्ति पर विचार करेगी।

**10. चीनी के संचलन को विनियमित करने की शक्ति -** केन्द्रीय सरकार निदेश दे सकेगी कि कोई भी व्यक्ति निम्नलिखित के सिवाय चीनी का परिवहन नहीं करेगा या परिवहन के लिए प्रस्ताव स्वीकार नहीं करेगा-

(क) इस निमित्त जारी साधारण या विशेष परमिट; और

(ख) सैन्य केडिट नोट।

**11. चीनी और इसके सह-उत्पादों की गुणवत्ता को विनियमित करने की शक्ति -** (1) केन्द्रीय सरकार, चीनी की गुणवत्ता को भारतीय चीनी मानक श्रेणियों के अनुसार विहित कर सकेगी, जिसके लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 5 की धारा (2) के खंड (च) या इस आदेश के खंड 7 के अधीन किसी उत्पादक या उत्पादकों के वर्ग को जारी किए गए निदेशों के अनुसरण में परिदान के समय सभी या किसी प्रकार की चीनी की अनुरूपता होगी।

(2) जब केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि किसी उत्पादक के पास चीनी का कोई स्टाक चीनी की किसी भारतीय चीनी मानक श्रेणियों से कम है तो वह उत्पादक को निदेश दे सकेगी कि यह उक्त स्टॉक को भारतीय चीनी मानक पुनः प्रसंस्कृत की एक या अधिक श्रेणी के अनुरूप बनाने की दृष्टि से पुनः प्रसंस्कृत करे अथवा अपने उत्पादों के विनिर्माण में उपयोग के लिए केवल थोक उपभोक्ताओं को ही बेचे।

(3) भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंधों के अनुसार सुरक्षा और गुणवत्ता पहलुओं से संबंधित मामलों पर खाद्य कारबार प्रचालकों को विनियमित करेगा।

**12. सूचना आदि मांगने की शक्ति -** केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित प्राधिकृत कोई व्यक्ति, इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने की दृष्टि से या स्वयं का समाधान करने के लिए कि इस आदेश के अधीन जारी किए गए किसी आदेश या निदेश का अनुपालन किया जाए, किसी उत्पादक या विक्रेता से ऐसी अवधि के भीतर या ऐसे अंतरालों पर, ऐसी सूचना, विवरणियां या रिपोर्ट और अनुप्रयोग प्रोग्रामिंग इंटरफेस या किसी अन्य मोड के माध्यम से डिजिटल प्ररूप सहित ऐसे प्ररूपों में प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा जो विनिर्दिष्ट की जाए और डेटा यथा अपेक्षित डेटा और अनुपालन की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए किसी भी सरकारी संगठन के साथ सूचना साझा करना अनुज्ञात करने की अपेक्षा करेगा और डेटा किसी तीसरे पक्षकार के साथ साझा नहीं किया जाएगा और अनन्य रूप से सरकारी प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाएगा।

**13. निरीक्षण, प्रवेश, तलाशी, नमूनाकरण, अभिग्रहण, आदि की शक्ति -** (1) इस निमित केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी,-

(क) किसी भी निर्माता या विक्रेता को ऐसा अभिलेख रखने के लिए निदेश दे सकेगा जो वह विनिर्दिष्ट करे।

(ख) किसी भी निर्माता या विक्रेता को ऐसी जानकारी प्रस्तुत करने का निदेश दे सकेगा जिसकी वह अपेक्षा करे।

(ग) किसी उत्पादक या विक्रेता से संबंधित या उसके नियंत्रणाधीन चीनी की किसी भी बही या किसी दस्तावेज या स्टॉक का निरीक्षण कर सकेगा या किसी भी व्यक्ति को प्राधिकृत कर सकेगा।

(घ) (i) किसी भी स्थान जहां चीनी का विनिर्माण किया जाता है, जिसमें उसमें स्थापित मशीनरी भी शामिल है; या

(ii) किसी भी स्थान जिसमें यह विश्वास करने का कारण है कि चीनी इस आदेश के उल्लंघन में संग्रहीत की जाती है,

प्रवेश और तलाशी कर सकेगा या किसी व्यक्ति को प्रवेश करने और तलाशी लेने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा।

(ङ) खंड 14 में विहित प्रक्रिया के अनुसार, निम्नलिखित की परीक्षा के लिए नमूने लेने के लिए या किसी व्यक्ति को प्राधिकृत कर सकेगा,-

(i) चीनी के किसी भी स्टॉक से संबंधित, या नियंत्रण वाले किसी उत्पादक या विक्रेता से;

(ii) उत्पादक द्वारा परिदान या प्रेषण के दौरान चीनी के किसी परेषण से।

(च) निम्नलिखित को रोक सकेगा और तलाशी कर सकेगा या किसी भी व्यक्ति को रोकने और तलाशी करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा,-

(i) चीनी परिवहन करने वाला कोई भी व्यक्ति; या

(ii) इस आदेश के उल्लंघन में चीनी के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले या उपयोग किए जाने में सक्षम कोई भी यान, पोत या अन्य वाहन;

(छ) किसी भी चीनी के अभिग्रहण को अभिग्रहीत या प्राधिकृत कर सकेगा जिसके संबंध में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि इस आदेश के उल्लंघन में एक कार्य किया गया है, किया जा रहा है या होने वाला है, पैकेज, कवरिंग या रिसेप्टेकल्स के साथ जिसमें चीनी पाई जाती है या पशुओं, यानों, पोतों या अन्य वाहनों का उपयोग ऐसी चीनी को ले जाने में किया जाता है और उसके पश्चात् ऐसे पैकेज, कवरिंग, रिसेप्टेकल्स, पशुओं, यानों, पोतों या अन्य वाहनों को प्रस्तुत करने हेतु सुरक्षित करने के लिए आवश्यक सभी उपाय कर सकेगा या प्राधिकृत कर सकेगा;

(2) तलाशी और अभिग्रहण के संबंध में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) के उपबंध इस खंड के अधीन तलाशी और अभिग्रहण को लागू होंगे।

**14. नमूने लेने की प्रक्रिया -** (1) खंड 13 के उपखंड (ङ) के उपबंधों के अधीन, नमूना लेने की प्रक्रिया भारतीय मानक ब्यूरो या भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा जारी आईएस 14818:2017 (अद्यतन रूप में) में यथा विनिर्दिष्ट होगी, जैसा लागू हो।

(2) खाद्य सुरक्षा और मानक नियम, 2011 और खाय सुरक्षा और मानक (प्रयोगशाला और नमूना विश्लेषण) विनियम, 2011 के उपबंध नमूना लेने और नमूना भेजने और विश्लेषण भेजने की रीति को लागू होंगे।

**15. आदेशों का अनुपालन -** प्रत्येक उत्पादक या विक्रेता या अन्य व्यक्ति जिसे इस आदेश द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त अधीन शक्तियों के अधीन कोई आदेश या निदेश जारी किया जाता है, ऐसे आदेश या निदेश का पालन करेगा।

**16. शक्तियों का प्रत्यायोजन -** केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकेगी कि इस आदेश द्वारा उसे प्रदत्त सभी या कोई शक्तियाँ, ऐसे निर्बंधन, अपवादों और शर्तों, यदि कोई हों, के अधीन रहते हुए, जो निदेश में विनिर्दिष्ट की जाएँ, निम्नलिखित द्वारा भी प्रयोक्तव्य होंगी-

(क) केन्द्रीय सरकार का कोई अधिकारी या प्राधिकरण;

(ख) राज्य सरकार का कोई अन्य या प्राधिकरण।

[फा. सं. 2(1)/2013-एसपी-।]

अश्विनी श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION**
**(Department of Food and Public Distribution)**

**ORDER**

New Delhi, the 1st May, 2025

**G.S.R. 280(E).—**In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955) and in supersession of the Sugar (Control) Order, 1966 and the Sugar Price (Control) Order, 2018, expect as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following order, namely: -

1. **Short title, extent and commencement**. – (1) This order may be called the Sugar (Control) Order, 2025.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.** – (1) In this order, unless the context otherwise requires, -

(a) "Act" means the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955);

(b) "bulk consumer" means halwai, sweetmeat seller, confectioner, soft drink manufacturer, food processing industry or any other institutional buyer etc. consuming not less than one hundred metric tons of sugar as average monthly consumption during last one year excluding the current month;

(c) "bura sugar" means the fine grain size product made out of any kind of sugar having sucrose not less than 90 per cent. by weight and moisture not more than 0.7 per cent. by weight and shall be free from dirt, filth, iron filings and added coloring matter and extraneous matter not more than 0.1 per cent. by weight or as specified in the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011, as amended from time to time;

(d) "by-products" means any form of product, which has been produced during production of sugar namely, cane bagasse, cane molasses, press mud cake or any other alternative product affecting sugar production from sugarcane;

(e) "cane molasses" means cane molasses as provided under clause 4 of this order;

(f) "cube sugar" means sugar in the form of cube or cuboid blocks manufactured from refined crystallised sugar having sucrose not less than 99.7 per cent. by weight and moisture not more than 0.25 per cent. by weight and total ash not more than 0.03 per cent. by weight, and it shall be white in colour, free from dirt and extraneous contamination or as specified in the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011, as amended from time to time;

(g) "dealer" means any person engaged in the business of purchase, movement, sale, supply, distribution, storage or processing of sugar, whether as a wholesaler or retailer or big chain retailer or processor or importer or exporter and whether or not in conjunction with any other business and includes his representatives or agent;

(h) "ethanol" produced from sugar-based feed stocks, means ethanol produced from sugar cane juice, sugar syrup, cane molasses and sugar;

(i) "food business" means any undertaking, whether for profit or not and whether public or private, carrying out any of the activities related to any stage of manufacture, processing, packaging, storage, transportation, distribution of food, import and includes food services, catering services, sale of food or food ingredients;

(j) "food business operator", in relation to food business, means a person by whom the business is carried on or owned and is responsible for ensuring the compliance of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) and the rules and regulations made thereunder;

(k) "gur or jaggery" means the product obtained by boiling or processing juice pressed out of sugarcane having sucrose not less than 60 per cent. by weight, moisture not more than 10 per cent. by weight other than for liquid or semi liquid variety and ash insoluble in dilute hydrochloric acid not more than 0.5 per cent. by weight, and it shall be free from substances deleterious to health or as specified in the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011, as amended from time to time;

(l) "icing sugar" means the sugar manufactured by pulverising refined sugar or vacuum pan sugar with or without edible starch and edible starch, if added, shall be uniformly extended in the sugar and shall be white free from white powder, dust and other extraneous matter. It shall have sucrose not less than 99 per cent. by weight and moisture not more than 0.80 per cent. by weight and starch not more than 4 per cent. by weight or as specified in the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011, as amended from time to time;

(m) "Indian Sugar Standard Grades" means the grades represented by the standard sealed samples of sugar in bottles issued by the Director, National Sugar Institute, Kanpur, conforming to the standards prescribed by the Bureau of Indian Standards;

(n) "khandsari factory" means any premises including the precincts thereof wherein twenty or more workers are working or were working and in any part of which any manufacturing process connected with the production of khandsari sugar by means of open pan process is being carried on or is ordinarily carried on with the aid of mechanical power and having crushing capacity not less than five hundred tones crushed per day;

(o) "khandsari sugar" means khandsari sugar as provided under clause 3 of this order;

(p) "plantation white sugar" means the crystallised product obtained from sugarcane or sugar beet having sucrose not less than 98 per cent. by weight and moisture not more than 0.5 per cent. by weight, and it shall be free from dirt, filth, iron filings and added coloring matter and extraneous matter not more than 0.1 per cent. by weight or as specified in the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011, as amended from time to time;

(q) "producer" means an entity or person carrying the business of manufacturing sugar or any product using sugarcane juice or sugar or cane molasses where sucrose or sugar is utilised and the resultant product is not meant for direct human or animal consumption;

(r) "raw sugar" means unwashed, centrifugal sugar with a minimum polarisation of 96.5°Z, surrounded by the original film of molasses, derived from sugar cane or sugar beet, to be further refined or reprocessed for making it superior quality sugar or as specified by the Bureau of Indian Standards or Food Safety and Standards Authority of India, as amended from time to time;

(s) "refined sugar" means the crystallised sugar having sucrose not less than 99.5 per cent. by weight and moisture not more than 0.5 per cent. by weight, and it shall be free from dirt, filth, iron filings and added coloring matter and extraneous matter not more than 0.1 per cent. by weight or as specified in the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011, as amended from time to time;

(t) "sugar" means, –

(i) any form of sugar containing more than 90 per cent. of sucrose (polarisation), including raw, plantation white, refined sugar and sugar candy; or

(ii) khandsari sugar or bura sugar or crushed sugar or any sugar in crystalline or powdered or liquid form;

(u) "sugar factory or sugar mill" means any premises including the precincts thereof wherein twenty or more workers are working and in any part of which any manufacturing process connected with the production of sugar by means of vacuum pan process or production of ethanol either directly from sugarcane juice

or syrup or sugar or khandsari sugar syrup is being carried on or is ordinarily carried on with the aid of mechanical power.

(2) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the same meaning respectively as assigned to them in the Act.

3. **Standard of khandsari sugar desi or sulphur. -** The khandsari sugar obtained from sugarcane juice by open pan process may be of two varieties and it may be crystalline or in powder form. It shall be free from dirt, filth, iron filings and added colouring matter and the extraneous matter shall not exceed 0.25 per cent. by weight and it may contain sodium bicarbonate (food grade). The two varieties shall also confirm the following standards, namely: -

(a) Khandsari sugar (Desi) - Sucrose not less than 93 per cent. by weight and moisture not more than 1.5 per cent. by weight and ash insoluble in dilute hydrochloric acid not more than 0.7 per cent. by weight or as specified in the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011, as amended from time to time;

(b) Khandsari sugar (Sulphur) - Sucrose not less than 96.5 per cent. by weight and moisture not more than 1.5 per cent. by weight and ash insoluble in dilute hydrochloric acid not more than 0.5 per cent. by weight or as specified in the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011, as amended from time to time.

**4. Cane molasses. -** Cane molasses shall be the mother liquor generated during the production of sugar in sugar factory or khandsari factory, which is having following sub-types, namely: -

(i) A-Heavy molasses: A-Heavy molasses is an-intermediate by-product produced during production of sugar having purity of 66 per cent. and above;

(ii) B-Heavy molasses: B-Heavy Molasses is an-intermediate by-product produced during production of sugar having purity equal to or greater than 48 per cent. and less than 66 per cent.; and

(iii) C-Heavy molasses: C-Heavy molasses is a final by-product produced during production of sugar having purity of molasses less than 48 per cent.

**5. Power to regulate production and diversion of sugar**. – (1) The Central Government or the State Government with approval of the Central Government, direct that no sugar and its by-products shall be manufactured from sugarcane or sugar beet except under and in accordance with the conditions specified in the Industrial Entrepreneur Memorandum issued in this behalf.

(2) The Central Government or the State Government with approval of the Central Government may, issue orders to regulate diversion of sugar for production of ethanol from sugar-based feedstock or any other product, which involves diversion of sugar.

**6. Power to regulate sale, storage, disposal etc. of sugar by producer**. –The Central Government may, direct that no producer shall sell or agree to sell or otherwise dispose of, or deliver any kind of sugar or remove any kind of sugar from the producers' premises except under and in accordance with a direction issued in writing by the Central Government:

Provided that this clause shall not affect the pledging of such sugar by any producer or dealer in favour of any scheduled bank as defined in clause (e) of section 2 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) or any of corresponding new bank constituted under section 3 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970) or any Non-Banking Financial Companies as licensed by the Reserve Bank of India and no such bank or financial institution shall sell the sugar pledged to it except under and in accordance with a direction issued in writing by the Central Government.

**7. Power to issue directions to producers and dealers**. –The Central Government may, from time to time, by general or special order, issue to any producer or dealer or any class of producers or dealers, such directions regarding the production, maintenance of stocks, storage, sale, grading, packaging, marking, weighment, disposal, delivery,

minimum price of sugar for sale, distribution or processing of any kind of sugar and its by-products, as it may deem fit.

**8. Sugar attached by the Central Government or by the State Government not to be sold without direction**. – (1) Where any stock of sugar with any producer or dealer is attached or seized,-

(i) by any officer of the Central or a State Government in accordance with the provisions of any enactment for the time being in force; or

(ii) in pursuance of any proceedings in civil court.

(2) The sugar so attached or seized shall not be ordered to be sold unless the officer or Court is satisfied that directions have been issued by the Central Government under clause 7 of this order:

Provided that stock of sugar, seized by the Government officials shall be released for sale on production of bank guarantee of equivalent value of the stock so seized, until the disposal of the case.

**9. Power to regulate minimum selling price of sugar**.– The Central Government shall, at the time of issuing any order regarding minimum selling price of sugar for sale under clause 7, take into consideration the fair and remunerative price of sugarcane, approximately and average conversion cost and such other financial cost as may be relevant for production of sugar from sugarcane or beetroot, or as the case may be, average revenue realisation from primary by-products (molasses, bagasses and press mud) generated in the process of sugar production.

**10. Power to regulate movement of sugar**. –The Central Government may, direct that no person shall transport or offer or accept for transport by any means of transport, sugar, except under-

(a) a general or special permit issued in this behalf; and

(b) a military credit note.

**11. Power to regulate quality of sugar and its by-products**. – (1) The Central Government may, prescribe the quality of sugar in terms of Indian Sugar Standard Grades to which all or any kind of sugar shall conform at the time of delivery in pursuance of the directions issued to a producer or a class of producers under clause (f) of sub-section (2) of section 5 of the Essential Commodities Act, 1955 or clause 7 of this order.

(2) When the Central Government is of the opinion that any stock of sugar with any producer is below any of the Indian Sugar Standard Grades of sugar, it may direct the producer to reprocess the said stock with a view to conform to one or more of the Indian Sugar Standard Grades of sugar or to sell it only to bulk consumers for use in the manufacture of their products.

(3) The Food Safety and Standards Authority of India shall regulate food business operators on matters related to safety and quality aspects in accordance with the provisions of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) and the rules and regulations made thereunder.

**12**. **Power to call for information, etc**. – The Central Government or any person authorised in this behalf by the Central Government may, with a view to secure compliance with this order or to satisfy itself that any order or direction issued under this order is complied with, require any producer or dealer to furnish within such period or at such intervals as may be specified, such information, returns or reports and in such forms including digital forms through Application Programing Interface or any other mode and to allow information sharing with any Government Organisation to ensure authenticity of data and compliance, as may be required; and the data shall not be shared with any third party and shall be exclusively used for Government purposes.

**13. Power of inspection, entry, search, sampling, seizure, etc**. –(1) Any officer authorised by the Central Government in this behalf, may,-

(a) direct any producer or dealer to maintain such records as he may specify;

(b) direct any producer or dealer to furnish such information as he may require;

(c) inspect or authorise any person to inspect any books or any documents or stocks of sugar belonging to or under the control of a producer or dealer;

(d) enter and search or authorise any person to enter and search,-

(i) any place where sugar is manufactured including the machinery installed therein; or

(ii) any place in which there is reason to believe that sugar is stored in contravention of this order.

(e) draw or authorise any person to draw, in accordance with the procedure prescribed in clause 14, samples for examination, -

(i) from any stock of sugar belonging to, or under the control of a producer or dealer;

(ii) from any consignment of sugar in the course of its delivery or dispatch by a producer;

(f) stop and search or authorise any person to stop and search, -

(i) any person transporting sugar; or

(ii) any vehicle, vessel or other conveyance used or capable of being used for the transport of sugar in contravention of this order;

(g) seize or authorise the seizure of any sugar in respect of which he has reason to believe that an act in contravention of this order has been, is being or is about to be, committed, along with the packages, coverings or receptacles in which sugar is found or the animals, vehicles, vessels, or other conveyance used in carrying such sugar and thereafter take or authorise the taking of all measures necessary for securing the production of such packages, coverings, receptacles, animals, vehicles, vessels or other conveyances in a Court and for their safe custody pending such production.

(2) The provisions of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (46 of 2023) with respect to search and seizure shall, apply to searches and seizures under this clause.

**14. Procedure for drawing samples**. – (1) Subject to the provisions of sub-clause (e) of clause 13, the procedure to draw sample will be as specified in IS 14818:2017 (as updated) issued by the Bureau of Indian Standards or Food Safety and Standards Authority of India, as may be applicable.

(2) The provisions of the Food Safety and Standards Rules, 2011 and the Food Safety and Standards (Laboratory and Sample Analysis) Regulations, 2011, shall apply for taking sample and manner of sending of sampling and analysis.

**15. Compliance of orders**. – Every producer or dealer or other person to whom any order or direction is issued under any powers conferred by or under this order, shall comply with such order or direction.

**16. Delegation of powers**. – The Central Government may, by notification in the Official Gazette, direct that all or any powers conferred upon it by this order shall, subject to such restriction, exceptions and conditions, if any, as may be specified in the direction, be exercisable also by-

(a) any officer or authority of the Central Government;

(b) any other or authority of a State Government.

[F. No. 2(1)/2013-SP-I]

ASWANI SRIVASTAVA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.05.02 12:07:34 +05'30'